

कार्यालय-जिलाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा।

संख्या: 2759/बारह- 09/2020-21 दिनांक

24-फरवरी, 2021

:: विज्ञप्ति ::

जनपद अल्मोड़ा में आधार किटों के संचालन हेतु प्रशिक्षित ऑपरेटर उपलब्ध करवाये जाने हेतु ऐसे इच्छुक एजेन्सियों/फर्मों के आवेदन पत्र विज्ञप्ति के माध्यम से आमंत्रित किये जाते हैं जिनके द्वारा पूर्व में आधार सम्बन्धी कार्य सम्पादित किये गये हों। एजेन्सियों/फर्मों द्वारा दिनांक 08-02-2021 को जिला अधिकारी कार्यालय अल्मोड़ा में प्रातः 10:00 बजे से पूर्वाह्न 12:00 बजे तक स्वयं अथवा प्रतिनिधि के माध्यम से उपस्थित होकर फर्म के पंजीकरण, कर देयताओं आदि के संबंध में अद्यतन दस्तावेज तथा आधार सम्बन्धी किये गये कार्यों के समस्त दस्तावेजों (अनुभव सम्बन्धी, मानव संसाधन सम्बन्धी व अन्य दस्तावेज) का लिखित विस्तृत ब्यौरा मय साक्ष्यों के प्रस्तुत किया जायेगा तथा जनपद अल्मोड़ा में कार्य किये जाने हेतु कार्ययोजना (Plan of Action) का प्रस्तुतीकरण (Presentation) तैयार कर प्रस्तुत किया जायेगा। उपरोक्त समस्त विषयों का आंकलन एतदर्थ गठित समिति द्वारा किया जायेगा। एजेन्सी/फर्म का चयन किये जाने उपरान्त कार्य हेतु नियम/शर्तें निर्धारित कर सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति के पश्चात अनुबन्ध किया जायेगा। एजेन्सी /फर्म द्वारा आवेदन किये जाने हेतु नियम/शर्तें तथा चयनित एजेन्सी/फर्म के साथ अनुबन्ध हेतु नियम/शर्तों की जानकारी जनपद की वैबसाइट almora.nic.in पर उपलब्ध है। आवागमन हेतु किसी भी प्रकार का भत्ता/मानदेय देय नहीं होगा।

H0/-
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा।

एजेन्सी/फर्म द्वारा आवेदन किये जाने हेतु निम्न शर्तें निर्धारित की जाती हैं:-

- 1- एजेन्सी/फर्म के पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
- 2- एजेन्सी/फर्म का PAN/TIN नम्बर।
- 3- एजेन्सी/फर्म का EPF/ESI पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
- 4- एजेन्सी/फर्म का GST पंजीकरण सम्बन्धी प्रमाण पत्र।
- 5- एजेन्सी/फर्म द्वारा आधार सम्बन्धी किये गये कार्यों का अनुभव प्रमाण पत्र।
- 6- एजेन्सी/फर्म के अधीन उपलब्ध मानव संसाधन की सूची मय साक्ष्य।

चयनित एजेन्सी/फर्म का अनुबन्ध निम्न निर्धारित नियमों/शर्तों के आधार पर किया जायेगा:-


- 1- एजेन्सी/फर्म प्रत्येक सात दिनों में जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय/नोडल अधिकारी द्वारा प्रबन्धित आधार नामांकन और अपडेट शुल्क आधार परियोजना से सम्बन्धित बैंक खाते में जमा करेगी। साथ ही प्रतिदिन के लेन-देन के रिकार्ड के लिए नियमानुसार लेखापंजी रखी जायेगी।
- 2- नोडल अधिकारी द्वारा लेन-दने के सत्यापन के उपरान्त एजेन्सी/फर्म को आईटी0 उत्तराखण्ड के दिशा-निर्देशों के अनुसार प्रत्येक माह के अनुसार प्रति आधार, नया नामांकन और अद्यतन शुल्क का भुगतान किया जायेगा। नया नामांकन और अद्यतन कि प्रक्रिया में अस्वीकृत आधार हेतु कोई भी भुगतान नहीं किया जाएगा।
- 3- एजेन्सी/फर्म आधार नामांकन लेगी और यू0आई0डी0ए0आई0 के दिशा-निर्देशों के अनुसार आवेदक से निर्धारित शुल्क वसूल कर आवेदक को प्राप्ति रसीद उपलब्ध करायेगी। यह एजेन्सी की जिम्मेदारी होगी कि वह जाँच और निगरानी करेगी कि आवेदक से कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लिया जा रहा है।
- 4- आधार नामांकन एवं अद्यतन कार्य के सम्बन्ध में कोई भी ऑपरेटर अवैध गतिविधियों में लिप्त पाया जाता है तो इसके परिणाम स्वरूप ऑपरेटर को तत्काल प्रभाव से हटाया जायेगा।
- 5- एजेन्सी/फर्म आधार केंद्र की स्थापना करेगी, आवेदकों के लिए केंद्र के बाहर यू0आई0डी0ए0आई0 की अनुमोदित दरों के साथ आधार फ्लेक्स बोर्ड भी लगाएगी तथा ऑपरेटर अपना दूरभाष नम्बर भी अंकित करना अनिवार्य होगा।
- 6- जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा ऑपरेटर के हिस्से के अलावा एजेन्सी/फर्म को कोई भी अतिरिक्त शुल्क देय नहीं होगा।
- 7- एजेन्सी/फर्म श्रम कानूनों के तहत यथाविधि सुसंगत प्राविधानों के अनुसार निर्धारित न्यूनतम मजदूरी नियमों के आधार पर तैनात ऑपरेटर को मासिक मानदेय/पारिश्रमिक का भुगतान करेगी(न्यूनतम मजदूरी नियमों के अनुसार)
- 8- आधार किट/हार्डवेयर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय अल्मोड़ा द्वारा प्रदान किया जाएगा। एजेन्सी/फर्म को जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय द्वारा उपलब्ध करवाये गये हार्डवेयर का आधार नामांकन और अद्यतन कार्य के लिए उपयोग करेगी। उक्त एजेन्सी/फर्म अपने हार्डवेयर का प्रयोग नहीं करेगी।
- 9- एजेन्सी/फर्म द्वारा उपलब्ध कराये गये ऑपरेटरों का चरित्र सत्यापन एजेन्सी/फर्म द्वारा कराया जाना अनिवार्य होगा।
- 10- ऑपरेटर/कार्मिक को एजेन्सी/फर्म द्वारा पहचान पत्र जारी किए जाएंगे।
- 11- एजेन्सी/फर्म को किसी भी परिस्थिति में उक्त कार्य को Sublet/किसी अन्य व्यक्ति/फर्म/एजेन्सी को दिये जाने की अनुमति नहीं दी जायेगी।
- 12- एजेन्सी/फर्म द्वारा उपलब्ध ऑपरेटर उक्त एजेन्सी/फर्म के कर्मचारी ही बने रहेंगे और उक्त एजेन्सी/फर्म ही किसी भी विवाद के लिए उत्तरदायी होगी, जिसमें किसी भी प्रकार कानूनी हस्तक्षेप हेतु उक्त एजेन्सी/फर्म ही जिम्मेदार होगी।

- 13- उक्त एजेन्सी/फर्म से विवाद की स्थिति में जिला मजिस्ट्रेट महोदय का निर्णय सर्वमान्य होगा तथा एजेन्सी/फर्म द्वारा किसी प्रकार विवाद के निस्तारण का क्षेत्राधिकार जनपद अल्मोड़ा का होगा।
- 14- यदि किसी भी कारण से एजेन्सी/फर्म का कोई ऑपरेटर कर्मचारी ड्यूटी से छुट्टी या अनुपस्थित रहता है, तो उक्त एजेन्सी/फर्म द्वारा सूचना पर 24 घंटे के भीतर अन्य ऑपरेटर की व्यवस्था करनी होगी।
- 15- जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय प्रशासन द्वारा आधार नामांकन और अद्यतन कार्य में उपयोग होने वाली स्टेशनरी खर्च का व्यय आधार नामांकन और अद्यतन कार्य से होने वाली आय के माध्यम से एकत्र की गयी धनराशि से किया जाएगा। एजेन्सी/फर्म द्वारा उक्त व्यय हेतु नियमानुसार बिल प्रस्तुत किया जायेगा।
- 16- कार्यपूर्ण होने उपरान्त एजेन्सी/फर्म को उपलब्ध करवायी गये हार्डवेयर को यथास्थिति जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय को प्रत्यावर्तित किया जायेगा। हार्डवेयर में किसी प्रकार की क्षति होने पर एजेन्सी/फर्म के बैंक धरोहर धनराशि से प्रतिपूर्ति की जायेगी।
- 17- एजेन्सी/फर्म द्वारा रू0 2,50,000.00(रू0 दो लाख पचास हजार मात्र) की बैंक गैरण्टी धरोहर धनराशि के रूप में जिला अधिकारी/रजिस्ट्रार, के नाम बन्धक रहेगी।
- 18- समिति द्वारा प्रत्येक तीन माह में उक्त एजेन्सी/फर्म के कार्यों का आकलन किया जायेगा। आकलन उपरान्त यदि आवश्यक हो तो समिति उक्त नियम/शर्तों में संशोधन करेगी, जो एजेन्सी/फर्म को मान्य होगा तथा जिसमें एजेन्सी/फर्म को किसी भी प्रकार की कोई आपत्ति नहीं होगी।
- 19- उक्त एजेन्सी/फर्म के साथ मात्र 11 माह के लिए अनुबन्ध होगा। तदुपरान्त ही एजेन्सी/फर्म के कार्यों/आचरण तथा सामान्य ख्याति का समिति द्वारा आकलन करने के उपरान्त कार्य संतोषजनक पाये जाने पर अनुबन्ध के नवीनीकरण पर विचार किया जायेगा।
- 20- यदि एजेन्सी/फर्म द्वारा कार्य करने में असमर्थता व्यक्त की जाती है तो एजेन्सी/फर्म द्वारा जिला मजिस्ट्रेट अल्मोड़ा को एक माह पूर्व लिखित में अवगत कराया जाना अनिवार्य होगा। यदि एजेन्सी/फर्म उक्त कार्य अवधि के दौरान जानबूझकर कोई विलम्ब करती अथवा कार्य में असमर्थता व्यक्त करती है तो यथास्थिति सुनवाई उपरान्त गुणावगुण के आधार पर बैंक गैरण्टी को जब्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

कार्यालय-जिलाधिकारी, जनपद अल्मोड़ा।

संख्या: 2759 / बारह- 09/2020-21 दिनांक 24-फरवरी, 2021

प्रतिलिपि जिला सूचना विज्ञान अधिकारी, अल्मोड़ा को इस आशय से प्रेषित कि उक्त विज्ञापित एवं आवेदन तथा अनुबन्ध हेतु नियम/शर्तों को जनपद की वेबसाइट almora.nic.in पर अपलोड करना सुनिश्चित करें।


(नितिन सिंह भदौरिया)
जिला अधिकारी अल्मोड़ा।